कार्यालय उप वन संरक्षक, उदयपुर

वन भवन मोहता पार्क के सामने ,चेटक सर्कल , उदयपुर (राज.)पिन–313001

E-mail :-dcfudaipur@gmail.com Phone/Fax-(0294)2429239

क्रमांक–एफ( )/तकनिकी/उ.व.स./तक./15–16/ दिनांकः–

निमित्

मुख्य वन संरक्षक
उदयपुर।

विषयः–प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अर्न्तगत नाल से डूंगरा सड़क निर्माण स्वीकृति बाबत् ।

संदर्भः–अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड ऋषभदेव, उदयपुर का पत्रांक 136 दिनांक 11.09.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रधानमंत्री ग्राम सड़क डामरीकरण की स्वीकृति बाबत प्रस्ताव नियमानुसार औपचारिकताओ की पूर्ति कर आनलाईन करने के उपरान्त पत्रांक 1019 दिनांक 29.1.2018 से मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर को प्रेषित किये गये थे। मुख्य वन संरक्षक, उदयपुर द्वारा प्रस्ताव में आवश्यक पुर्ति कर प्रस्ताव जरिये पत्र कमांक 1177 दिनांक 8.02.2018 से अति0प्र0मु0व0स0 प्रोटेक्शन एव नोडल अधिकारी एफसीए राज0 जयपुर को अग्रेषित किये गये थे। प्रस्ताव आनलाईन करने के उपरान्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक, जयपुर से ई.डी.एस दिनांक 15.02.2018 प्राप्त हुआ। जिसे कार्यकारी एजेन्सी को पूर्ति हेतु अग्रेषित किया गया। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा ई.डी.एस. से प्राप्त आक्षेपो की पूर्ति कर वांछित पूरक दस्तावेजो की हार्ड कापी सदंर्भित पत्र से चार प्रति में प्रस्तुत की गई है। ई.डी.एस. का जवाब आनलाईन अग्रषित करने के उपरान्त वांछित दस्तावेजो की हार्ड कापी संलग्न प्रेषित है। पुरक प्रस्ताव उच्च कार्यालय को अग्रेषित कराने का कष्ट करावे।

संलग्नः उपरोक्तानुसार (3 सेट) ।

भवदीय

(आर.के.जैन भा.व.से.)
उप वन संरक्षक
उदयपुर

कमांकः–एफ( )/तकनिकी/उ.व.स.उ./15–16/ दिनांकः–

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1 अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक, प्रोटक्शन एव नोडल अधिकारी एफसीए राज0 जयपुर।

2. अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, उपखण्ड ऋषभदेव, उदयपुर।

उप वन संरक्षक
उदयपुर

इंडीएस नंबर F14(Road)2017/FCA/PCCF/CCFEDS-I Jaipur dated 15.02.2018 के क्रम में।

सड़क का नाम :- नाल (सोमावत) से डूंगरा, प्रस्ताव संख्या – FP/RJ/ROAD/20390/2016 दिनांक 07.07.2017

इंडीएस में उठाये गये आक्षेप की पूर्ति बिन्दुवार निम्नानुसार है।

क्र.सं.	विवरण	प्रत्युत्तर
1	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या B-2। में यूजर ऐजेन्सी के स्वीकृत/अस्वीकृत/प्रक्रियाधीन प्रकरणों की अद्यतन सूची संलग्न नहीं की गई है।	कोई प्रकरण पूर्व में आवेदित नहीं है।
2	प्रस्ताव में प्रस्तुत प्रस्तावित सड़क में वन सीमा का सीमांकन उप वन संरक्षक द्वारा प्रस्तुत वनखण्ड की KML File अनुसार नहीं है जिसका परीक्षण किया जाना प्रस्तावित है।	प्रस्तावित सड़क वन सीमा के अनुरूप परीक्षण कर मार्क कर दी गई है।
3	प्रस्ताव में एरिया कैलकुलेशन शीट अनुसार प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्रफल 1.6260 हैक्टर है जबकि 1.63 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। उक्त में एकरूपता ली जानी प्रस्तावित है।	पूर्ति कर संलग्न कर दिया है।
4	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-5(ii) में संलग्न KML File सेगमेंट वाइज संलग्न की जानी प्रस्तावित है।	KML File सेगमेंट वाईज संलग्न कर दी गई है।
5	प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-(iii) में संलग्न GT Sheet Scale 1:50000 में नहीं है। प्रस्तावित सड़क के पूर्ण एलायमेंट में वन सीमा, ड्रेनेज का अंकन मय अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय शीर्षक एवं तालिका संलग्न होना प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।
6	बिन्दु संख्या 7 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या C-(iii) में संलग्न DGPS map में प्रस्तावित सड़क का पूर्ण एलायमेन्ट जिसमें वन सीमा, ड्रेनेज एवं प्रस्तावित वन भूमि के सभी कार्नर्स के GPS Coordinates का अंकन किया गया हो, एवं अधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर मय शीर्षक एवं तालिका संलग्न होना प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।
7	बिन्दु संख्या 8 की पालना नहीं। प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या D में यूजर एजेन्सी द्वारा 1980 से पूर्व का ट्रैक होने का अवगत कराया गया है इस संबंध में उप वन संरक्षक द्वारा कोई विकल्प नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	उप वन संरक्षक से पूर्ति हेतु निवेदन किया गया है।
8	बिन्दु संख्या 10 की पालना अपूर्ण। प्रस्ताव के पार्ट 1 के बिन्दु संख्या L में यूजर एजेन्सी द्वारा प्रस्तावित गैर वन भूमि के GT Sheet (Scale 1:50000) संलग्न किया जाना प्रस्तावित है।	संलग्न कर दी गई है।

	विवरण	प्रत्युतर
9	संलग्न बार चार्ट में प्रस्तावित सडक 0/440 से 1/790 वन क्षेत्र में पडना दर्शाया गया है जबकि वनाधिकार प्रमाण पत्र में 0/400 से 1/790 दर्शाया गया है उक्त भिन्नता को सुधारा जाना प्रस्तावित हैं।	पूर्ति कर दी गई है।
10	प्रशासनिक, वित्तीय एवं तकनीकी स्वीकृतियां संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दी गई है।
11	सडक के क्रास सेक्शन 6.00 मीटर (एक अन्य प्रस्ताव में 7.5 मीटर रखा गया है।) किन नियमों के आधार पर रखा गया है।	सामान्यतः भूमि की चौडाई 7.50 मीटर लिया जाना वांछित है, परंतु जहां भूमि का ढलान अधिक या अन्य कोई कारण हो तो न्यूनतम चौडाई 6.00 मीटर तक लिया जाना अनुमत है।
12	जमाबंदी एवं राजस्व मेप पर अंकन संलग्न नहीं है।	संलग्न कर दी गई है।
13	एरिया कैलकुलेशन रिपोर्ट ग्रामवार/खसरावार/चेनऐजवार/सेगमेंट /लम्बाई चौडाई अनुसार दी जानी प्रस्तावित है।	पूर्ति कर दी गई है।
14	गैर वन भूमि से संबंधित आबटन आदेश ऑनलाईन नहीं किये गये है।	पूर्ति कर दी गई है।
15	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 2 की पूर्ति नहीं की गई है।	पूर्ति कर दी गई है।
16	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II में कोई वृक्ष का पातन नहीं है एवं इको क्लास 2 अंकित है जबकि उस क्षेत्र का वन इको क्लास 3 में पडता है उक्तानुसार संशोधन किया जाना प्रस्तावित है।	संशोधन कर दिया गया है।
17	उप वन संरक्षक द्वारा पार्ट II के बिन्दु संख्या 5 की पूर्ति नहीं की गई है।	पूर्ति कर दी गई है।
18	क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण योजना निर्धारित प्रपत्र में नहीं है।	पूर्ति कर दी गई है।
19	उप वन संरक्षक द्वारा गजट नोटिफिकेशन की प्रति संलग्न नहीं की गई है।	पूर्ति कर दी गई है।
20	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा ऑनलाईन पार्ट III संलग्न नहीं किया गया है।	मुख्य वन संरक्षक उदयपुर द्वारा पूर्ति की जाएगी।
21	प्रस्ताव में दो हार्ड प्रति प्रस्तुत की गई है जबकि तीन हार्ड प्रति जिनमे एक मूल प्रति ही प्रस्तुत की जानी प्रस्तावित है। उक्त प्रतियों पर उप वन संरक्षक के हस्ताक्षर नहीं है।	एक हार्ड प्रति संलग्न कर दिया गया हैं।

उप वन संरक्षक